भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1754
जिसका उत्तर बुधवार, 10 दिसम्बर, 2025 को दिया जाएगा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

1754. श्री जिया उर रहमान:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दालों, खाद्य तेलों और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि का संज्ञान लिया है;
(ख) मूल्यों में ऐसे उतार-चढ़ाव के लिए उत्तरदायी कारकों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत कीमतों को स्थिर करने और पर्याप्त बफर स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) उपभोक्ता मामले विभाग राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित 575 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत दालों, खाद्य तेलों, और प्रमुख सब्ज़ियों सहित 38 खाद्य वस्तुओं के दैनिक मूल्यों की निगरानी करता है। आंकड़ों के अनुसार, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर और नियंत्रण में हैं।

(ख) कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतें अस्थिर प्रकृति की होती हैं और कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जैसे उत्पादन में मौसमीपन, विपरीत मौसम स्थितियां, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं, जमाखोरी और कालाबाजारी द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम कमी, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि। कभी-कभी आपूर्ति श्रृंखला में मामूली व्यवधान या मौसम की विपरीत स्थितियों के कारण होने वाले नुकसान से कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत, थोक आवक और रसद संबंधी समस्याओं से बाजार में अतिरेक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और परिणामस्वरूप खुदरा कीमतों में गिरावट आ सकती है।

(ग) भारत सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकता से अलग, उपलब्ध अधिशेष खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) (ओएमएसएस(डी)) के तहत खुली बिक्री के माध्यम से बेचती है। इससे बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाने, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम जनता के लिए खाद्यान्न को अधिक सुलभ एवं किफायती बनाने में सहायता मिलती है। इसके अलावा, क्रमशः 06.11.2023 और 06.02.2024 को भारत आटा और भारत चावल की शुरुआत की गई, ताकि ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) (ओएमएसएस(डी)) नीति के तहत आम उपभोक्ताओं को सब्सिडी दर पर आटा (गेहूं का आटा) और चावल उपलब्ध करवाया जा सके।

*****